रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225856
CG-DL-E-12032021-225856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942
No. 136] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 177(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (7) और (10) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के पास भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2022 की तिथि से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 52 के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात: -

"52क: सरकारी वाहनों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण नहीं किया जाना : नियम 52 में सन्निहित किसी बात के होते हुए, निम्नलिखित के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के मामले में

(i) केंद्रीय सरकार और इसके विभाग;

(ii) राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें और उनके विभाग;

(iii) स्थानीय सरकारी संस्थान अर्थात, नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं अथवा पंचायतें;

(iv) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत स्थापित राज्य परिवहन उपक्रम;

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम;

(vi) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय,

ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी करने की तिथि से 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा जैसा कि धारा 41 की उप-धारा (7) में प्रदान किया गया है।"

[फा. सं. आरटी-23013/1/2021-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 177(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub sections (7) and (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2022.

In Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 52, the following rule shall be inserted, namely:-

"52A: Non-Renewal of Certificate of registration of Government Vehicles: Notwithstanding anything contained in Rule 52, in the case of motor vehicles, owned by-

(i) Central Government and its Departments;

(ii) State/UT Governments and their Departments;

(iii) Local Government Institutions namely, the Municipal Corporations or Municipalities or Panchayats;

(iv) State Transport Undertakings established under the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) and the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(v) Public Sector Undertakings;

(vi) Autonomous bodies with the Central Government and State Governments,

the certificate of registration shall not be renewed after the lapse of fifteen years, as provided in Sub section (7) of Section 41, from the date of such certificate."

[F. No. RT 23013/1/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.12 22:46:38 +05'30'